झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

पत्र सं0– 02. त0शि0/विविध–03/2023/16/योजना /राँची, दिनांक– 11.08.2023

प्रेषक,

राहुल कुमार पुरवार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
पोस्ट– हिनु, राँची।

द्वारा :– आतंरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावाँ के लिए हस्तांतरित अतिरिक्त भूमि के चाहरदिवारी के निर्माण हेतु हेतु प्राक्कलित राशि रू0 1,00,69,100/– (रू0 एक करोड़ उनहत्तर हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः–स्वीकृत।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावाँ को State of the Art बनाया जाने हेतु उपायुक्त, सरायकेला–खरसावाँ का पत्रांक 820 दिनांक 19.04.2023 के द्वारा अतिरिक्त 4.00 एकड़ भूमि विभाग को हस्तांतरित की गयी है। उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने हेतु तत्काल चाहरदिवारी किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड से प्राक्कलन प्राप्त किया गया है। कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची का पत्रांक 1630 (नि0) दिनांक 11.07.2023 द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावाँ के लिए हस्तांतरित 4.00 एकड़ भूमि का Boundary Wall with Concertina Wire Fencing कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदन Estimate No. 401/ T.A/ H.E./ JSBCCL/2023-24, Page No. 193 दिनांक 14.06.2023 के साथ कुल प्राक्कलित राशि रू0 1,00,69,100/– (रू0 एक करोड़ उनहत्तर हजार एक सौ) मात्र का अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। विषयांकित कार्य की विवरणी निम्नवत् है –

क्र0 सं0	अवयव के नाम	स्वीकृत प्राक्कलित राशि
	7'-0" HT. Boundary Wall with Concertina Wire Fencing (Lenth = 1850'-0")	79,79,944.32
	Total (A)	79,79,944.32
	Add 18% GST	14,36,389.98
	Total Amount with GST	94,16,334.29
	Add 1% labour Cess	94,163.34
	Add Jsbccl Grant	5,58,596.10
	Grand Total	1,00,69,093.74
	Say Rs.	**1,00,69,100.00**

अतः उक्त के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावाँ के लिए हस्तांतरित 4.00 एकड़ अतिरिक्त भूमि का Boundary Wall with Concertina Wire Fencing आदि कार्य के लिए कुल रू0 1,00,69,100/– (रू0 एक करोड़ उनहत्तर हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3 (क) उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–105–इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान/उपशीर्ष–06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खनन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी।

(ख) उपबंध एवं राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्यशीर्ष–02–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना/उपशीर्ष –06–तकनीकी शिक्षण संस्थानों का निर्माण–इंजीनियरिंग कॉलेज/पोलिटेकनिक/खनन् संस्थानों का निर्माण एवं जीर्णोद्वार हेतु निर्माण कार्य इकाई से की जायेगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग होगें एवं राशि की निकासी कर नियमानुसार चालान के माध्यम से झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड के PL खाते में राशि जमा करेगें।
5. यह कार्य झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची द्वारा निविदा के माध्यम से कराया जायेगा तथा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन पर निगम द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते हुए निविदा कार्य प्रारम्भ करेगे। स्वीकृत योजना का निर्माण कार्य अवधि कार्यानुमति निर्गत की तिथि से 90 दिन होगी।
6. झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा PWD कोड़ के सुसंगत नियमों के अन्तर्गत तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन के उपरान्त विषयांकित कार्य संबंधी राशि का नियमानुसार निकासी एवं व्ययन करना सुनिश्चित की जायेगी।
7. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाय, यह संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगे कि इस कार्य के लिये अन्य स्रोत्रो से राशि नही प्राप्त किया गया है।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/04/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित्त विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहितदिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
10. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा से की जायगी।
11. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित्त विभाग (अंकेक्षण) का होगा।
12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
13. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय विवरणी, टी0भी0न0 सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चित करेगें।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

8.8.23

(राहुल कुमार पुरवार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– 02. त0शि0/विविध–03/2023/16/योजना /राँची, दिनांकः– 11.08.2023

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.8.23

सरकार के सचिव

ज्ञापांक– 02. त0शि0/विविध–03/2023/16/योजना /राँची, दिनांक– 11.08.2023

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आवंटित कार्य का निविदा के पश्चात कार्यानुमति निर्गत कर अभिलेख विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

सरकार के सचिव 8.8.23

ज्ञापांकः– 02. त0शि0/विविध–03/2023/16/योजना /राँची, दिनांकः– 11.08.2023

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/विभागीय अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, खरसावाँ/कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, राँची, झारखण्ड/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/सहायक निदेशक–II को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रवीन्द्र प्र0 बर्णवाल)	(मनौवर आलम)	(गरिमा सिंह)	8.8.23
प्रशाखा पदाधिकारी	अवर सचिव	निदेशक, तकनीकी शिक्षा	**सरकार के सचिव**